प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में के0जी0एम0यू0 में शताब्दी अस्पताल फेज-2 के निर्माण एवं फर्नीचर (अस्पताल एवं कार्यालय के उपयोगार्थ) की व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9941/योजना अनुभाग, दिनांक 09.11.2015 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-65/2015/2601/71-2-15-सी0एम0यू0-138/2008 दिनांक 27 जुलाई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में के0जी0एम0यू0 में शताब्दी अस्पताल फेज-2 के निर्माण एवं फर्नीचर के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति के निर्देश एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में शताब्दी अस्पताल फेज-2 में फर्नीचर हेतु संस्तुत लागत रू0 17,50,00,000/- को सम्मिलित करते हुए रू0 227,50,00,000/- (रूपया दो सौ सताइस करोड पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए फर्नीचर (अस्पताल एवं कार्यालय के उपयोगार्थ) की व्यवस्था हेतु रू0 8,75,00,000/- (रूपया आठ करोड पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) फर्नीचर हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा जब फर्नीचर क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हों। चि0वि0वि0 द्वारा व्यय वित्त् समिति की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
4) प्रश्नगत धनराशि का जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इसका उपयोग अन्य मद में किया जाना वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।
5) चि0वि0वि0 यह सुनिश्चित करेगें कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। चि0वि0वि0/कार्यदायी संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में व्यय वित्त् समिति द्वारा दिये गये निर्देश में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **(कार्यवृत्त संलग्न)**
6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
8) प्रयोजना में प्रस्तावित फर्नीचर बाट-आउट आइटम्स श्रेणी के है। निर्माण इकाई द्वारा इनके क्रय हेतु आफर/कोटेशन उपलब्ध कराये गये है। कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल आफ रटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण इकाई द्वारा फर्नीचरों (अस्पताल एवं कार्यालय के उपयोगार्थ) की स्थापना/निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना स्टोर परचेज रूल्स एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9) शताब्दी फेज-2 के कार्यालय एवं चिकित्सालय में फर्नीचर की निर्धारित मात्राओं से अधिक मात्रा में फर्नीचर का क्रय नहीं किया जायेगा। फर्नीचर के क्रय में द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व चि0वि0वि0/निर्माण इकाई का होगा।

10) क्रय किये जाने वाले फर्नीचर के सम्बन्ध में अंतिम भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति किये गये फर्नीचर उत्तम गुणवत्ता (स्टैण्डर्ड क्वालिटी) के है तथा मांगी गयी तकनीकी स्पेसीफिकेशन की पूर्ति हो रही है तथा जांच में भी फर्नीचर उपयुक्त पाये गये है। इस सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेदारी निर्माण इकाई/चि0वि0वि0 प्रशासन की होगी।

11) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत करते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/चि0वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त् करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/36/दस-2016, दिनांक 08 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 3/2015/4087(1)/71-2-15-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8) परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-10, लखनऊ।
9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in